क्रम–संख्या–269

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2008–10

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 01 सितम्बर, 2010

भाद्रपद 10, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1104/79-वि०-1-10–(क)30-2009

लखनऊ, 01 सितम्बर, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने जी०एल०ए० विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 पर दिनांक 31 अगस्त, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2010 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

जी०एल०ए० विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2010)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

श्री जगन्नाथ प्रसाद गनेशीलाल बजाज चेरिटेबिल ट्रस्ट समिति मथुरा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम जी०एल०ए० विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

परिभाषायें

2—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :—

(क) "विद्यापरिषद" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद से है;

(ख) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड और योजना बोर्ड या अन्य बोर्ड से है;

(ग) "कुलाधिपति", "प्रतिकुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति-कुलपति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति, प्रति कुलाधिपति, कुलपति और प्रति-कुलपति से है;

(घ) "सभा" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सभा से है;

(ङ) "निदेशक/प्राचार्य" का तात्पर्य किसी संस्था, महाविद्यालय, केन्द्र, स्कूल, के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) "विभाग" का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और उसके अन्तर्गत अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी है;

(छ) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित हैं ;

(ज) "कार्यपरिषद" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद से है;

(झ) "विद्यमान महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करताहै तथा जिसे विश्वविद्यालय में विलयन करना, उसके द्वारा चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित है ;

(ञ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ट) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी/छात्रों के छात्रावास से है;

(ठ) "संस्था" "महाविद्यालय" का तात्पर्य विद्यमान महाविद्यालय सहित ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जिसे इस अधिनियम और परिनियमावली के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या उससे सहयुक्त हो या उसका संघटक हो;

(ड) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ढ) "अभिलेखों और प्रकाशनों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;

(ण) "समिति" का तात्पर्य दिनांक 30.09.1997 को स्थापित और दिनांक 30.09.1997 को उपनिबंधक कार्यालय में सोसाइटी फण्डस एण्ड चिट्स, आगरा में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत श्री जगन्नाथ प्रसाद गनेशीलाल बजाज चेरिटेबिल ट्रस्ट समिति से है;

(त) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से हैं;

(थ) "छात्र" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है;

(द) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" का तात्पर्य आचार्य, सहआचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शोध संचालित करने सम्बन्धित शिक्षा/अनुदेश प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय;

(ध) "कोषाध्यक्ष" "कुलसचिव", "उप कुलसचिव", "वित्त अधिकारी", "परीक्षा नियन्त्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" या "कुलानुशासक" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;

(न) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य सोसाइटी द्वारा इस अधिनियम के अधीन स्थापित जी०एल०ए० विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से है;

विश्वविद्यालय की स्थापना

3–(1) मथुरा उत्तर प्रदेश में समिति द्वारा जी०एल०ए० विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

4–समिति, जो प्रायोजक निकाय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के लिए निश्चित न्यूनतम 50 एकड़ परस्पर [illegible] हुई भूमि का समुचित स्वामित्व हो;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण, करेगी जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये होगा;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन में न्यूनतम पांच करोड़ रुपये मूल्य के उपस्कर कार्यालय और प्रयोगशालाओं की प्रतिष्ठापना;

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कम से कम सात विषयों में शिक्षण और/अथवा अनुसंधान के प्रयोजन के लिए विभाग/विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति करना और अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादेश का बनाया जाना;

(च) ऐसी अन्य शर्तें, जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय;

विश्वविद्यालय का आरंभ

5–(1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के प्रारम्भ के लिए समिति को प्राधिकार पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा।

(2) राज्य सरकार, समिति से प्राप्त इस आशय के दस्तावेजों सहित कि धारा चार में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं संबंधित असंदिग्ध शपथ पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राधिकार पत्र जारी करेगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

6–विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित को अभिवृद्धि के लिए आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगा :–

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित, ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य रूप भी है, की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन;

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता की अंतःक्रिया।

विश्वविद्यालय की शक्तिया

7– विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात :–

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि और प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, जैव एवम् चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा विज्ञान, फार्मेसी, प्रबन्धन, होटल एवम् सत्कार प्रबन्धन, विधि एवम् अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, इतिहास, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, कला इत्यादि विषयों हेतु परिसर में, परिसर से बाहर, परिसर से दूर और उपग्रह केन्द्रों या केन्द्र संचालित करने अथवा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और उनकी अभिवृद्धि करना;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर ऐमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करें, व्यक्तियों को परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र एवम् उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों, उपाधियों और शैक्षिणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(ङ) विहित रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, को शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित डायरेक्टर पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सह-आचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य/ प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और उनके लिए नियुक्तियां करना;

(ज) प्रशासकीय लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हों, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये नियुक्त करना या उन्हें काम पर लगाना;

(ञ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या देश/विदेश की प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करें, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ट) अनुसंधान और शिक्षा के लिये विद्यालयों, केन्द्रों विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाईयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो;

(ठ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ड) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आवासों, छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवम् कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण कल्याणकारी क्रियाकलापों के लिए प्रोत्साहित करना;

(ढ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिये उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिये अन्य संस्थाओं या इकाईयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ण) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय की घोषणा करना;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा मूल्यांकन या परीक्षण की कोई पद्धति हो सकती है;

(थ) फीस और अन्य प्रभारों को मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(द) छात्रवृत्तियों एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना, और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्वर्द्धन के लिए व्यवस्था करना;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल संपत्ति का, अर्जन, धारण, प्रबंध और निपटारा करना;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए ट्रस्ट के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धनराशि उधार लेना या उसे बंधक रखना या आडमानकृत करना;

(ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अध्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;

(भ) व्याख्यानादि का अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और जिम्मा लेना ;

(म) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आनुषंगिक या सहायक हों;

प्रवेश और मानक

8–(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठयक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तथा अन्य सांविधिक निकाय इत्यादि के दिशा-निर्देशों के अनुसार हो।

(3) अध्यापक-छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विशिष्ट परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

9– विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिये या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहां से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करें :

परन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण समय-समय पर भी राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10– विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य अधिकारी होंगे –

(क) कुलाधिपति;

(ख) प्रति कुलाधिपति;

(ग) कुलपति;

(घ) प्रति-कुलपति;

(ड) निदेशक/प्रधान

(च) कुलसचिव;

(छ) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(झ) परीक्षा नियंत्रक;

(ञ) मुख्य कुलानुशासक;

(ट) कोषाध्यक्ष;

(ठ) वित्त अधिकारी; और

(ड) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जायें।

कुलाधिपति

11–(1) समिति के प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलाधिपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अंतरिम कार्यपरिषद का गठन करेगा।

(3) कुलाधिपति, समिति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

प्रतिकुलाधिपति

12–(1) प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति समिति की प्रबंध समिति के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष केलिये की जायेगी।

(2) प्रति-कुलाधिपति, कुलाधिपति को दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(3) प्रति-कुलाधिपति, कुलाधिपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।

कुलपति

13–(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के विद्या परिषद, एवम् योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा;

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरुद्ध अपील करें। कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

प्रतिकुलपति

14–(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कार्य परिषद के अनुमोदन से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निवहन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन-प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रतिकुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जितनी समिति द्वारा अवधारित की जाय।

प्राचार्य या निदेशक

15–निदेशक प्राचार्य की नियुक्ति ऐसी रीति से हो तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा जैसी विहित की जाए।

कुलसचिव

16–(1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए।

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करें, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुलसचिव कार्यपरिषद और विद्यापरिषद का पदेन गैर सदस्य सचिव होगा।

संकायाध्यक्ष

17–प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

कोषाध्यक्ष

18–(1) कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

वित्त अधिकारी

19(1)–वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

20–छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किए जाए।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :–

(क) सभा;

(ख) कार्य परिषद;

(ग) विद्या परिषद;

(घ) वित्त समिति;

(ड) नियोजन बोर्ड;

(च) पाठ्य बोर्ड;

(छ) संकाय बोर्ड;

(ज) परीक्षा समिति और;

(झ) प्रवेश समिति

(ञ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमो द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

सभा

22–(1) सभा के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(2) इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन रहते हुए सभा की निम्नलिखित शक्तियों और कृत्य होंगे, यथा :–

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय–समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्युपायों का सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं और ऐसे लेखाओं पर सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना,

(ग) विभिन्न परिषदों या सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी अथवा निजी निकायों के लिए, जहां यथा विहित अवधि के लिए विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु भेजने की आवश्यकता हो, सदस्यों को नामित करना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जैसा विहित किया जाय।

कार्य परिषद

23–(1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्य परिषद का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाए।

विद्या परिषद

24–(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगा और उसका प्रयोग करेगा।

(2) विद्या परिषद का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

वित्त समिति

25–(1) वित्त समिति वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिये विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।

नियोजन बोर्ड

26–(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य संबधित परिषदों के मानकों को पूरा करें।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इनकी अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

संकाय और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

27–संकाय परिषद, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी के जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाय, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

परिनियमों को बनाने की शक्ति

28–(1) कार्य परिषद इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियम बनाएगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों जिनका समय–समय पर गठन किया जाए, का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य,

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिये उपबंध करना आवश्यक हो,

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियां;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियां;

(ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना के लिए दायित्व लेने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिसके अन्तर्गत सेवानैवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्यपरिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना;

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हों या विहित किये जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेगी और न ही उसमे संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति स्व द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियम में उपबन्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकता है और यदि कार्यपरिषद् निदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाधिपति कार्यपरिषद द्वारा ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् तदनुसार, जैसा वह उचित समझे, परिनियम बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

29—इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेश कार्य परिषद द्वारा बनाये जाएंगे जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय मे छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र के लिये अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियां प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों के लिए प्रभार्य शुल्क का निर्धारण;

(च) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी है;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिये बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों, और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों जिसके अंतर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिये आवश्यक समझी जाय, के सृजन, संरचना और कृत्य;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तःनिरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हो;

वार्षिक रिपोर्ट

30—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् कोर्ट को प्रस्तुत किया जायेगा जैसा विहित किया जायेगा और कोर्ट अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) कोर्ट अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

31–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलना–पत्र कार्य परिषद के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगा, करायी जायगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्यपरिषद के प्रेक्षण सहित कोर्ट को प्रस्तुत की जायेगी।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

32–(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो अपने निर्देश के दिनांक से तीन मास के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात् विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी, कुलपति के आदेश के विरुद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के संबंध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चिय कुलपति द्वारा किया जायेगा।

(5) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसे अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के संबंध में कोई वाद किसी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जा सकेगा।

अपील करने का अधिकार

33–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथास्थिति, विद्या परिषद, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, अपने द्वारा ऐसे आदेशों की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में कुलपति को अपील कर सकता है जो यथास्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या संबंधित समिति के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तरित या पलट सकता है।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अन्तिम होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन

34–विश्वविद्यालय, अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कार्य परिषद द्वारा अवधारित ऐसी कल्याणकारी योजना या भविष्य निधि का गठन कर सकता है ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसा कार्य परिषद द्वारा निश्चित किया जाए।

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

35–यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो, कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

36–जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति की गयी हो वहां ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, संबंधित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझें, होंगे।

रिक्तियों का भरा जाना

37– विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुए हैं नियुक्त, या निर्वाचित या सहयोहित किया था ऐसी अवधि के लिए जिसका प्रावधान उपयुक्त धारा में किया गया हो, यथा शक्य शीघ्र भरा जायेगा।

कार्यवाही की अवधि मान्यता

38– विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को प्रमाणित करने की रीति

39– विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तवेज जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हो को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

40–(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जाएगा।

स्थायी विन्यास निधि

41–(1) विश्वविद्यालय कम से कम दस करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

42–(1) विश्वविद्यालय सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :–

(क) सभी शुल्क, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) समिति द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिए किया जायेगा।

विकास निधि

43–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी; अर्थात :–

(क) विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) ट्रस्ट द्वारा कियेगये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

44—धारा 41, 42 एवं 43 के अधीन स्थापित निधियो को कोर्ट के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणों के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय।

वित्तीय शर्तें

45—विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होगा।

शुल्क

46—विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए प्रभारित शुल्क परिनियम एवम् अध्यादेश के क्रम में तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार लिया जायेगा।

मांग करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियां

47—(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसाकि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय।

(2) राज्य सरकार यदि वह समझती है कि अधिनियम अथवा परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है तो वह धारा 51 के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे।

विश्वविद्यालय का विघटन

48—(1) यदि विश्वविद्यालय अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम दो माह की लिखित नोटिस देगा।

(2) उपधारा (1) में निदिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को यथाविहित रीति से पूरा न कर लें, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

49—(1) धारा 48 के अधीन विश्वविद्यालय के दायित्व ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके पूरा किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

50—(1) जहां राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के संबंध में, कोई शिकायत प्राप्त हो तो वह विश्वविद्यालय को शिकायत की प्रति भेजते हुए विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर, जो छः मास से कम नहीं होगा, कारण बतायें कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथमदृष्टया इस अधिनियम का उपबंधों के उल्लघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों के अभिकथन की जांच के लिए नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक जांच अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी अर्थात :—

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(ङ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय।

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति कर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम का उल्लंघन किया है तो वह विश्वविद्यालय को निर्देश देगी कि वह आवश्यक सुधार करे और इस अधिनियम के उपबंधों के समुचित क्रियान्वयन के लिए सुझाव दे।

(6) यदि अनुभव किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने लगातार तीन बार अधिनियम का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार का स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधि, विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों मे निर्देश देने की शक्ति

51—राज्य सरकार समय-समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

विघटन मान्यता रद होने पर परिसम्पत्तियां, उत्तरदायित्व की प्रास्थिति

52—अधिनियमों में ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय की विघटन के स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियां और सम्पत्तियां, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित है तथा विश्वविद्यालय के दायित्व समिति से संबंधित हो जायेंगे।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

53—राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि के उपबन्ध में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वह परिष्कार परिवर्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे।

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनें सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि कोई कठिनाई जैसी उपधारा में निर्दिष्ट की गई है विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि श्री जगन्नाथ प्रसाद गनेशी लाल बजाज चैरिटेबुल ट्रस्ट समिति, मथुरा जो सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 21/1860) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश के मथुरा में जी०एल०ए० विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित करके उसको निगमित किया जाय जिसमें कि शिक्षा का अभिनवीकरण, पाठ्यक्रमों की समुचित संरचना, अध्यापन और ज्ञानोपार्जन की नवीन पद्धति के लिए और व्यक्तित्व समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विद्यार्थियों और अध्यापकों को आवश्यक वातावरण और सुविधा प्रदान की जा सके।

तदनुसार जी०एल०ए० विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
के०के० शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 1104 (2)/LXXIX-V-1-10-1 (ka) 30-2009

Dated, Lucknow September 01, 2010

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the G.L.A. Vishwavidyalaya Uttar Pradesh Adhiniyam, 2009 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 2010) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 31, 2010 :–

THE GLA UNIVERSITY UTTAR PRADESH ACT, 2009

(U.P. Act No. 21 of 2010)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to establish and incorporate a teaching University sponsored by Shri Jagannath Prasad Ganeshi Lal Bajaj Charitable Trust Samiti Mathura Uttar Pradesh and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :–

1. This Act may be called the GLA University Uttar Pradesh Act, 2009. **Short title**

2. In this Act, unless the context otherwise requires,- **Definitions**

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;

(b) "Board" means the Board of Studies and the Planning Board, or any other Board of the University;

(c) "Chancellor", "Pro-Chancellor", "Vice-Chancellor" and "Pro-Vice-Chancellor" mean respectively the Chancellor, the "Pro-Chancellor" the Vice-Chancellor the Pro-Vice-Chancellor of the University;

(d) "Court" means the Court of the University;

(e) ".Director/Principal" means the Head of an "Institution" a, College, Centre and School, or the person appointed for the purpose to act as such in his absence;

(f) "Department" means a Department of Studies and includes a Centre of Studies and Research.

(g) "Employee" means any person appointed by the University, and includes a teacher or any other member of the staff of the University;

(h) "Executive Council" means the Executive Council of the University;

(i) "Existing College" means a college or an institution which imparts professional education and is proposed to be merged, run and maintained by the University;

(j) "Faculty" means a Faculty of the University;

(k) "Hostel" means Scholar/Students Hostel of the University;

(l) "Institution/College" means a college including existing college or an Institution established or maintained by or associated or constituent to the University in accordance with this Act and the Statutes.

(m) "Prescribed" means prescribed by Statutes;

(n) "Records and Publication" means the Records and Publication of the University;

(o) "Society" means Shri Jagannath Parasad Ganeshi Lal Bajaj Charitable Trust Society established on 30.09.1997 with Sub-Registrar Office, Societies Fund & Chits , Agra.

(p) "Statutes" and "Ordinances" means respectively, the Statutes and the Ordinance of the University for the time being in force;

(q) "Student" means a student enrolled in the register of the University;:

(r) "Teacher of the University" means Professors, Associate Professors, Readers, Assistant Professor, Lecturers and such other persons as may be appointed for imparting education instructions of conducting research in the University and are designated as Teachers by the Ordinances;

(s) "Treasurer", "Registrar", "Deputy Registrar", "Finance Officer", "Controller of Examinations", "Librarian" or "Proctor" means respectively the Treasurer, the Registrar, the Deputy Registrar, the Finance Officer, the Controller of Examination, the Librarian or the Proctor of the University;

(t) "University" means the GLA University Uttar Pradesh establish under section 3.

Establishment of the University

3. (1) There shall be established at Mathura in Uttar Pradesh a University by the Society in the name of the GLA University Uttar Pradesh.

(2) The University shall be a body corporate.

Conditions for the establishment of the University

4. The sponsoring body, the Society shall, for the purposes of establishing the University under this Act, fulfill the following conditions, namely :-

(a) duly possesses minimum 50 acres contiguous land earmarked for the University;

(b) construct on land referred to in clauses (a) buildings of at least 24000 sq. metre carpet area, out of which at least 50 percent shall be for academic and administrative purposes.

(c) install equipments in officers and laboratories worth minimum Rs. Five crore in the building referred to in clause (b);

(d) appoint teachers and establish infrastructure of the department/ school for the purposes of teaching and/or research in at least seven subjects as per standards laid down by the University Grants Commission;

(e) make the Statutes and the Ordinance for the administration and functioning of the University;

(f) such other conditions as may be required by the State Government to be fulfilled before the establishment of the University.

Starting of the University

5. (1) The University shall start operation only after the State Government issues to the Society a letter of authorization for the commencement of the functioning of the University.

(2) The State Government shall issue the letter of authorization after receipt of an unambiguous affidavit along with documents from the Society to the effect that all conditions referred to in section 4 have been fulfilled.

Objects of the University

6. The objects of the University shall be to disseminate and advance knowledge and skill by providing instructional, research and extension of facilities in such branches of learning as it may deem fit and the University shall endeavor to provide to students and teachers the necessary atmosphere and facilities for the promotion of:-

(a) innovations in education leading to restructuring of courses, new methods of teaching. training and learning including on line learning. blended learning continuing education and such other modes and integrated & wholesome development of personality;

(b) studies in various disciplines;

*(c)*inter disciplinary studies;

(d) national integration, secularism, social equity and engineering of international understanding and ethics.

Powers of University

7. The University shall have the following powers, namely:-

(a) to provide for instruction in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provisions for. research and for the advancement and dissemination of knowledge and skills;

(b) to impart and promote the study of science, engineering and technology, Bio and Medical Sciences, Dental Science, Pharmacy Management, Hotel and Hospitality Management, Law and other Professional courses and also History, Culture, Commerce, Economics, Humanities, Philosophy, Art etc through in-campus off-campus offshore-campus and satellite centres or by conducting centres or by distant educational programmes ect.

(c) to honor educational stalwarts and persons of academic eminence with decoration of professor Emeritus.

(d) to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificates to, and confer degrees or other academic distinctions on the basis of examinations, evaluation or any other method o testing on persons, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(e) to confer honorary degrees or other distinctions in such manner as may be prescribed;

(f) to provide education and training including correspondence as such other courses, to such persona as are not members of the University, as it may determine;

(g) to institute Directorships, Principal-ships, Professorship. Associate Professorships, Readerships, Assistant Professorships, Lectureships and other teaching or academic posts required by the University and to make appointments for the same;

(h) to create administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto;

(i) to appoint/engage persons of eminence working in any other University or Organization permanently or for a specified period;

(j) to co-operate, collaborate or associate with any other University or Authority or Institution in India and abroad in such manner and for such purpose as the University may determine;

(k) to establish and maintain schools, centres, specialized laboratories or other units for research and instructions as are in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its objects;

(l) to institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(m) to establish and maintain and supervise residences, hostels within the University and promote the health & general welfare activities for students and staff;

(n) to make provisions for research and consultancy, and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;

(o) to declare center, an institution, a department, or school, as the case may be, in accordance with the Statutes;

(p) to determine standards for admission into the University, which may include examination, evaluation or any other method of testing;

(q) to demand and receive payment of fees and other charges;

(r) to make special arrangements in respect of women and other disadvantaged students as the University may consider desirable;

(s) to regulate and enforce discipline among the employees and students of the University and take such disciplinary measures in this regard as may be deemed necessary by the University,

(t) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees of the University;

(u) to receive donations and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable for the welfare of the University;

(v) to borrow, mortgage with the approval of the Society on the security of the property of the University, money for the purposes of the University.

(w) to appoint either on contract or otherwise, visiting professors emeritus professors, consultants, fellows, scholars, artists, course writers and such other persons who may contribute to the advancement of the objects of the University.

(x) to organize and to undertake extra-mural studies and extension service;

(y) to do all such other acts and things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the Uniersity.

Admission and standards

8. (1) Admission to the different academic programmes shall be made in accordance with the laws for the time being in force.

(2) The University shall ensure that the academic standards of the courses offered by the University are in accordance with the guidelines of the University Grants Commission and other statutory bodies as the case may be;

(3) The teacher-student ratio shall be in accordance with the guidelines of the University Grants Commission and specific council.

University open to all classes and creeds

9. The University shall be open to persons of either sex and of whatever race, creed, caste or class, and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief profession in order to entitle him to be admitted therein as an officer, a teacher, staff member, student, or to hold any office therein or to graduate thereat:

Provided that reservation in the posts and recruitment of the employees and reservation of seats for admission in any course of study in the University for. the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 6ther. Backward Classes of citizens shall be regulated by the order of the State Government issued for time to time .

Officers of the University

10. The following shall be the officers of the University:-

(a) the Chancellor;
(b) the Pro-Chancellor
(c) the Vice-Chancellor;
(d) the Pro- Vice-Chancellor;
(e) Directot/Principal.
(f) the Registrar;
(g) the Dean of Faculty
(h) the Dean of students Welfare.
(i) the Controller of Examinations
(j) the Chief Proctor.
(k) the Treasurer.
(l) the Finance Officer; and
(m) such other officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

The Chancellor

11. (1) The Chancellor shall be appointed by the Management Committee of the Society for a period of three years.

(2) The Chancellor shall by virtue of his office, be the Head of the University and shall constitute interim Executive Council.

(3) The Chancellor may by writing under his hand addressed to the Society resign his office.

The Pro-chancellor

12. (1) The Pro-Chancellor shall be appointed by the Management Committee of the Society for a period of three years.

(2) The Chancellor shall by virtue of his office be the Head of the University and shall constitute interim Executive Council.

(3) The Chancellor may in writing under his hand addressed to the Society resign his office.

The Vice-chancellor

13. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in such manner as may be prescribed, for a period of three years.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall be the Chairman of the Academic Council and Planning Board of the University, and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University

(3) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall convey to such authority the action taken by him on such matters :

Provided that if the authority of the University or any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section may prefer an appeal to the Chancellor within one month from the date of communication of such decision. The Chancellor may confirm modify or reverse action taken by the Vice Chancellor.

(4) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such other functions as may be prescribed.

The Pro Vice Chancellor

14. (1) The Pro-Vice-Chancellor shall be appointed by the Vice-Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

(2) The Pro-vice-Chancellor appointed under sub-section (1) shall discharge his duties in addition to his duties as a professor.

(3) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in discharging day to day duties as and when required by the Vice-Chancellor.

(4) The Pro-Vice-Chancellor shall get honorarium of such amount as may be determined by the Society.

Director/ Principal

15. The Director/Principal shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

The Registrar

16. (1) The Registrar shall be appointed in such manner as may be prescribed.

(2) The Registrar shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other powers and perform such other function as may be prescribed.

(3) The Registrar shall be the ex-officio Secretary of the Executive Council and the Academic Council.

Dean of Faculty

17. Every Dean shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

The Treasurer

18. The Treasurer shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such function as may be prescribed.

Finance Officer

19. (1) The Finance Officer shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

(2) The Finance Officer shall be the ex-officio Secretary of Finance Committee.

Other Officers

20. manner of appointment and powers and duties functions of the other officers of the University including the Dean of Students Welfare, Controller of Examination and Chief Proctor shall be such as may be prescribed.

Authorities of the University

21. The following shall be the authorities of the University :-

(a) the Court;

(b) the Executive Council.

(c) the Academic Council.

(d) the Finance committee.

(e) the Planning board.

(f) the Boards of Faculties.

(g) the Admissions Committee.

(h) the Examination Committee and.

(i) such other authorities as may be declared by the Statutes to be authorities of University.

The Court

22. (1) The Constitution of the Court and the term of office of its members shall be such as may be prescribed.

(2) Subject to the provisions of this Act the Court shall have the following power and functions, namely:-

(a) to review from time to time, the broad policies and programmer of the University and suggest measures for the working, improvement and development of the University,:

(b) to consider and pass resolutions on the Annual Report and Annual accounts of the University and Audit Report of such accounts;

(c) to advise the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it for advice;

(d) to perform such other functions as may be prescribed.

The Executive Council

23. (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University.

(2) The Constitution of the Executive council, the term of office of its members and its powers and duties shall be such as may be prescribed.

The Academic Council

24. (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall subject to the provisions of the Statutes and the Ordinances, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(2) The Constitution of the Academic Council, the term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed.

The Finance Committee

25. (1) The Finance Committee shall be the principal financial body of the University to take care of the financial matters.

(2) The constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be such may be prescribed.

The Planning Board

26. (1) The Planning Board shall be the Principal Planning body of the University. The Board shall ensure that the infrastructure and academic support system meets the norms of the University Grants Commission or the respective Councils.

(2) The constitution, of the planning Board, term of office of its members and its power and functions shall be such as may be prescribed.

Board of Faculty, Admission Committee, Examination Committee and other Authorities of the University

27. The constitution, powers and functions of the Boards of faculties the Admission Committee, the Examination Committee and of such other authorities of the University which may be declared by the Statutes to be authorities of the University shall be such as may be prescribed.

Power to make statutes

28. (1) The Executive Council shall make the statues for carrying out the purposes of this Act.

(2) Subject to the provisions of this Act the Statues may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the constitution, powers and functions of the authorities of the University, as may be constituted from time to time;

(b) the appointment and continuance in office of the members of the said authorities, filling of vacancies of members and all other matters relating to those authorities for which it may be necessary to provide;

(c) the appointment powers and duties of the officers of the University and their emoluments;

(d) the appointment of teachers of the University and other academic and administrative staff and their emoluments;

(e) the appointment of teachers and other academic and administrative staff working in the University or Institution for specific period for undertaking a joint project;

(f) the conditions of service of employees including provisions for retirement benefits, insurance and provident fund the manner of termination of service and disciplinary actions;

(g) the principal governing seniority of service of employees.

(h) the procedure for settlement of disputes between employees or students and the University.

(i) the procedure for appeal to the Executive Council by any employee or students against the action of any officer or other authority of the University.

(j) the conferment of honorary degrees;

(k) the withdrawal of degree, diploma, certificate and other academic distinction;,

(l) the institution of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(m) the maintenance of discipline among the students;

(n) the establishment and abolition of Department, Centers and other constituted institutions/Colleges etc;

(o) the delegation of powers vested in the authorities or officers of the University; and

(p) all other matters, which may be this Act are to be or may be prescribed.

(3) The Executive Council shall not make, amend or repeal any Statute affecting the powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an . opinion in writing on the proposed changes, and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council.

(4) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections the Chancellor may direct the University to make provisions in the Statutes, in respect of any matter specified by him and if the Executive Council is unable to implement such a direction within sixty days of its receipt, the Chancellor may, after considering the reasons, if any, communicated by the Executive Council for its inability to comply with such direction, make or amend the Statutes accordingly as he may deem fit.

Power to make Ordinances

29. Subject to the provision of this Act and the Statutes, the Ordinances shall be made by the Executive Council which may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such;

(b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University;

(c) the medium of instruction and examination;

(d) the award of degree, diploma, certificate and other academic distinction, the qualification for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same.

(e) the fees to be charged for courses of study in the University and for admission to the examinations, degrees, diplomas and certificates of the University;

(f) the conditions for the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(g) the conduct of examinations, including the term of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(h) the conditions of residence of the students of the University;

(i) the special arrangements, if any, which may be made for the residence, discipline and teaching of women students and prescribing of special courses of studies for them within the University;

(j) the appointment and emoluments of employees other than those for whom provision has been made in the Statutes;

(k) the establishment of Centre of Studies, Boards of Studies, Interdisciplinary Studies, Special Centers, Specialized Laboratories and other Committees;

(l) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and authorities including learned bodies or association;

(m) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic mileage of the University;

(n) the remuneration to be paid to the examiners, moderators, invigilators and tabulators;

(o) such other terms and conditions of service of teachers and other academic staff as are not prescribed by the Statutes;

Annual Report

30. (1) The annual report to the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall be submitted to the Court on or after such date as may be prescribed and the Court shall consider the report in its annual meeting.

(2) The court shall submit the annual report to the Chancellor along with its comments, if any.

Annual Accounts

31. (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall, once at least every year and at intervals of not more than fifteen months, be audited by an experienced and qualified firm of Chartered Accountant of repute.

(2) A copy of the annual accounts, together with the audit report thereon, shall be submitted to the Court and the Chancellor along with the observations of the Executive Council.

(3) Any observations made by the Chancellor on the annual accounts shall be brought to the notice of the Court and the Executive Council and the observations, if any, shall after being reviewed by the Executive Council, be submitted to the Chancellor.

Condition of service of employees

32. (1) Every employee of the University shall be appointed / engaged as per provisions of the Statutes.

(2) Any dispute arising between the University and any of the employees appointed substantively, shall be referred to the Vice-Chancellor who shall decide the dispute after affording an opportunity to the employee within three months from the date of its reference.

(3) The aggrieved employee, may file an appeal against the order of the Vice-Chancellor to the Chancellor.

(4) Any dispute in respect of any employee engaged temporarily or on ad-hoc or part time or casual basis shall be heard and decided by the Vice-Chancellor.

(5) Any person aggrieved by the order of the Vice-Chancellor may prefer an appeal to the Chancellor. The decision of the Chancellor in such an appeal shall be final and no suit shall lie in any court in respect of the matters decided by the Chancellor.

Right to Appeal

33. (1) Any student or candidate for an examination, whose name has been removed from the rolls of the University by the orders or resolution of the Academic Council Proctorial Board or Controller of Examination as the case may be, and who has been debarred from appearing at the examinations of the examinations of the examinations of the University for more than one year, may within ten days of the date of receipt of such orders or copy of such resolution by him in writing appeal reverse the decision to the aforesaid authorities or the concerned Committee, as the case may be.

(2) Any decision taken by the Vice-Chancellor shall be Final

Employees provident Fund and pensions

34. (1) The University may constitute for the benefit of its employees such pension or welfare schemes or provident Fund or provide such insurance schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be decided by the Executive Council.

Disputes as to the Constitution of Authorities and bodies

35. If any question arises as to whether any person has been duly nominated or appointed as or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred for the Chancellor whose decision thereupon shall be final.

Constitution of Committees

36. Where any authority of the University is giver power under this Act or the Statutes to appoint Committees, such Committees shall save as otherwise provided, consist of the members of the authority concerned and of such other persons as the authority in each case may think fit.

Filling of the Vacancies

37. All vacancies among the members (other than ex-officio) of any authority or other body of the University shall be filled as soon as may be convenient by the person or body who appointed, nominated or co-opted the members whose place has become vacant for the remaining term for which he has been appointed or co opted.

Invalidity of Proceeding

38. No act or proceedings of any authority of the University shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members.

Mode of proof of University records

39. A copy of any receipt, application, notice, proceeding, resolution of any authority or Committee of the University or other documents in possession of the University, if certified by the Registrar, shall be received as prima-facie evidence of the such receipt, applications, notice, order, proceeding or resolution, documents or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transaction therein where the original would, if produced have been admissible in evidence.

Publication of statues and ordinance

40. (1) Every statute or Ordinance made under this Act shall be made available in writing.

(2) Each new Statute or Ordinanees made under this Act shall be enforced as soon as it is made by the competent authority.

Permanent Endowment Fund

41. (1) The Society shall establish a permanent endowment fund of at least rupees ten corer.

(2) The University shall have the power to invest the permanent endowment fund in such manner as may be prescribed.

(3) The University may transfer any amount from the general fund or the development fund to the permanent endowment fund.

(4) Any amount exceeding the minimum amount specified in sub-section (1) may be withdrawn from the permanent endowment fund by the University for the purposes of development of the University.

General Fund

42. (1) The University shall establish a general fund to which the following amount shall be credited, namely:-

(a) all fees which may be charged by the University;

(b) all sums received from any other source;

(c) all contributions made by the Society; and

(d) all contributions made is this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being in force.

(2) The moneys credited to the general fund shall be applied to meet all the recurring expenditures of the University.

Development Fund

43. (1) The University shall also establish a development fund to which the following moneys shall be credited, namely;

(a) development fees, which may be charged from students;

(b) all sums received form other sources for the purpose of the development of the University;

(c) all contributions made by the Society;

(d) all contributions made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being enforce; and

(e) all incomes received from the permanent endowment fund.

(2) the moneys credited to the development fund form time to time shall be utilized for the development of the University

Maintenance of Fund

44. The funds established under sections 41, 42 and 43 shall subject to general supervisions and control of the Court be regulated and maintained in such manner as may be prescribed.

Financial Condition

45. The University shall not be eligible for any grant in aid or any financial assistance form the State Government or any other body or Corporation owned and controlled by the State Government.

Fees

46. The fees charged for different academic programmers shall be in accordance with laws for the time being in force.

Power of State Government to call for information and records

47. (1) It shall be the duty of the University or any authority or officer of the University to furnish such information or records relating to the administration or finance and other affairs of the University as the State Government may call for.

(2) The State Government, if it is of the view that there is a violation of the Act or the Statutes or ordinances made hereunder may issue such directions to the University under section 51 as it may deem necessary.

Dissolution of University

48. (1) If the University proposes its dissolution in accordance with the law governing its constitutions or incorporation, it shall give at least six months written notice to the State Government.

(2) On receipt of notice referred to in sub-section (1) the State Government shall make such arrangement for administration of the University from the date of dissolution of the university and until the last batch of students in regular courses of studies of the University complete their courses or studies in such manner as may be prescribed.

Expenditure of the University during dissolution

49 (1) The expenditure for administration of the University during the taking over the liabilities of the University under section 48 shall be met out of the permanent endowment the general fund and the development fund.

(2) If the funds referred to sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure of the University during the taking over the liabilities of the University such expenditure may be met by disposing of the properties or assets of the university by the State Government.

De-recognition of the University by the State Government

50 (1) Where the State Government receives a complaint that the University not functioning in accordance with the provisions of this Act it shall require the University to show cause within such time, which shall not be less than two months, as to why the University should not be derecognized.

(2) If, upon receipt of the reply of the University to the notice given under subsection (1), the State Government is satisfied that a prima-facie case of mismanagement or violation of the provisions of this Act in the functioning of the University is made out, it shall order such enquiry as it deems necessary.

(3) For the purpose of an inquiry under sub-section (2), the State Government shall by notification, appoint an officer or authority as the enquiring authority to enquire into the allegations of violation of the provisions of this Act.

(4) Every inquiring authority appointed under sub-section (3) shall while performing its functions under this Act have all the powers of Civil Court under the code of Civil Procedure, 1908 trying a suit and in particulars in respect of the following matters, namely :-

(a) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) requisitioning any public record or copy there of from any office

(d) receiving evidence on affidavits;

(e) any other matter which may be prescribed.

(5) If, upon receipt of the inquiry report, the State Government is satisfied that the University has violated any provision of this Act, it shall direct the State Government shall direct the University to make necessary improvement and suggest for proper implementation of the provision of this Act.

(6) If it is observed that the University is violating the Act continuously for three times the State Government may by derecognize the University with prior approval of the University Grant Commission.

(7) During the period of the management of the University under sub-section (6), the State Government may utilized the permanent endowment fund, the general funds or the development fund for the purpose of the Management of the affairs of the University. If the funds of the University are not fufficient to meet the requisite expenditure of the University, the State Government may dispose off the assts or the properties of the University to meet the said expenses.

(8) Every notification under sub-section (7), shall be laid before both houses of the state legislature before implementation.

Power of the State Government to issue directions on policy matters

51. The State Government may issue such directions from time to time to University on policy matters not inconsistent with the provisions of this Act as it may deem necessary. Such directions shall be complied with by the University.

Status of Assets/Liabilities on dissolution/dereco gnition

52. All assets and properties including permanent endowment fund, general fund or any other fund and also the liabilities of the University will belong to the Society in case of dissolution of the University under any clause mentioned hrein above in the Act.

Power to remove difficulties

53. (1) The State Government may for the purposes of removing any difficulties, particularly in relation to the transition from the provisions of the Uttar Pradesh State University Act, 1973 to the provisions of this Act, direct that the provisions of this Act shall during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature as soon as may be after it is made.

(3) No order made under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred to in that sub-section existed or was required to be removed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to encouraging private sector to participate in the field of higher education, it has been decided to establish and incorporate a teaching University by the name of GLA University, at Mathura in Uttar Pradesh sponsored by Shri Jagannath Prasad Ganeshi Lal Bajaj Charitable Trust Samiti Mathura Registered under the Society Registration Act, 1860 (Central Act No. 21 of 1860), so as to provide to the students and teachers the necessary atmosphere and facilities for the promotion of innovations leading to proper structuring of courses, now methods of teaching and learning and integral development of personality.

The GLA University Uttar Pradesh Bill, 2009 is introduced accordingly.

By order,
K.K. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०डब्लू०पी०–ए०पी० 421 राजपत्र–(हिन्दी)–2010–(952)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट) ।

पी०एस०डब्लू०पी०–ए०पी० 98 सा0 विधायी–2010–(953)–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट) ।

421 RPH GLA Data 2 Vidhaika 2010

जी०एल०ए० विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त हैं।

जी०एल०ए० विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 में किये जाने वाले विधायन अधिकारों के प्रतिनधान का विवरण निम्न प्रकार है :–

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
1	2
10 (ड)	इसमें कार्य परिषद् को परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी घोषित करने की शक्ति दी जा रही है।
13(1)	इसमें कार्य परिषद् को ऐसी रीति विहित करने की शक्ति दी जा रही है जिससे कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए की जायगी।
13(4)	इसमें कार्य परिषद् को कुलपति की अन्य शक्तियों और कृत्यों को विहित करने की शक्ति दी जा रही है।
14(1)	इसमें कार्य परिषद् को प्रतिकुलपति की शक्तियों एवं कर्तव्यों को विहित करने की शक्ति दी जा रही है।
15	इसमें कार्य परिषद् को निदेशक प्राचार्य की नियुक्ति की रीति और उसकी शक्तियों और कृत्यों को विहित करने की शक्ति दी जा रही है।
16(1)	इसमें कार्य परिषद् को ऐसी रीति विहित करने की शक्ति दी जा रही है जिससे कुल सचिव की नियुक्ति की जायगी।
16(2)	इसमें कार्य परिषद् को कुल सचिव की अन्य शक्तियों और उसके अन्य कार्यों को विहित करने की शक्ति दी जा रही है।
17	इसमें कार्यपरिषद को संकायाध्यक्ष की नियुक्ति की रीति और उसकी शक्तियों और कृत्यों को विहित करने की शक्ति दी जा रही है।
18	इसमें कार्य परिषद् को कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की रीति और उसकी शक्तियों और कृत्यों को विहित करने की शक्ति दी जा रही है।
19(1)	इसमें कार्य परिषद् को वित्त अधिकारी की नियुक्ति की रीति ओर उसकी शक्तियों और कृत्यों को विहित करने की शक्ति दी जा रही है।
20	इसमें कार्य परिषद् को छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियन्त्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति तथा उनकी शक्ति एवं उनके कृत्य विहित करने की शक्ति दी जा रही है।
21(अ)	इसमें कार्य परिषद् को सहित परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी घोषित करने की शक्ति दी जा रही है।
22(1)	इसमें कार्य परिषद् को सभा के गठन एवं उसके सदस्यों की पदावधि विहित करने की शक्ति दी जा रही है।
22(2)(घ)	इसमें कार्य परिषद् को सभा के अन्य कृत्यों को विहित करने की शक्ति दी जा रही है।
23(2)	इसमें कार्य परिषद् के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियों और कर्तव्यों को परिनियमों द्वारा विहित करने की शक्ति दी जा रही है।
24(2)	इसमें कार्य परिषद् को विद्या परिषद उसके सदस्यों की पदावधि और उनकी शक्तियों और कर्तव्यों को विहित करने की शक्ति दी जा रही है।

1	2
25(2)	इसमें कार्य परिषद् को वित्त समिति के गठन और उसकी शक्तियों और कृत्यों को विहित करने की शक्ति दी जा रही है।
26(2)	इसमें कार्य परिषद् को नियोजन बोर्ड के गठन उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियों और कर्तव्यों को विहित करने की शक्ति दी जा रही है।
27	इसमें कार्य परिषद् को संकाय परिषद, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और अन्य प्राधिकारियों के गठन उनकी शक्तियों और कृत्यों को विहित करने की शक्ति दी जा रही है।
28(1)	इसमें कार्य परिषद् को अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियम बनाने की शक्ति दी जा रही है।
29	इसमें कार्य परिषद् को अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेश बनाने की शक्ति दी जा रही है।
30(1)	इसमें कार्य परिषद् को ऐसा दिनांक विहित करने की शक्ति दी जा रही है जब या जिसके पश्चात् विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट सभा को प्रस्तुत की जायगी।
34	इसमें कार्य परिषद् को ऐसी रीति और ऐसी शर्तें विहित करने की शक्ति दी जा रही है जिससे या जिसके अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए कल्याणकारी योजना या भविष्य निधि या बीमा योजनाओं की व्यवस्था करेगा।
41(2)	इसमें कार्य परिषद् को ऐसी रीति विहित करने की शक्ति दी जा रही है जिससे विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को निवेश करने की शक्ति होगी।
44	इसमें कार्य परिषद् को ऐसी रीति विहित करने की शक्ति दी जा रही है जिससे स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि को विनियमित और अनुरक्षित किया जायगा।
48(2)	इसमें कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय के विघटन के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों को अन्तिम बैच के छात्रों द्वारा शिक्षण पाठ्यक्रमों को पूरा करने की रीति और विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से अन्तिम बैच के छात्रों द्वारा शिक्षण पाठ्यक्रमों को पूरा कर लेने तक की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासन की व्यवस्था की रीति विहित करने की शक्ति दी जा रही है।
50(4)(ङ)	इसमें कार्य परिषद् को ऐसे अन्य मामले विहित करने की शक्ति दी जा रही है जिसके सम्बन्ध में उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जाँच अधिकारी को अपने कृत्यों का सम्पादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की शक्ति होगी।
51	इसमें राज्य सरकार को विश्वविद्यालय को नीति विषयक ऐसे निर्देश जारी करने की शक्ति दी जा रही है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों।
52(1)	इसमें राज्य सरकार को यह निदेश देने की शक्ति दी जा रही है कि अधिनियम के उपबन्ध आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान ऐसे अनुकूलन के अधीन रहते हुए, चाहे वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हो, जैसा वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

राकेश धर त्रिपाठी,
मंत्री,
उच्च शिक्षा।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 119 सा० विधा०–7-8-2009–(901)–1,000 (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।